भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2392

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

जमुई जिले में श्रमिकों का कल्याण

†2392. श्री अरुण भारती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों, विशेषकर जमुई-मुंगेर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पार्क और कुटीर उद्योग इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रदान किए गए विशिष्ट प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत जमुई जिले में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कितनी है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत उक्त श्रमिकों को प्राप्त लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए जमुई जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) औषधालयों या अस्पतालों की स्थापना से संबंधित किसी भी लंबित परियोजना की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त जिले में कामगारों को भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ के भुगतान में तेजी लाने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के आधार से जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है।

दिनांक 10 नवंबर 2025 तक, जमुई जिले में ई-श्रम पोर्टल पर 6.13 लाख से अधिक असंगठित कामगारों सहित 31.40 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया है।

जमुई जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

सरकार, कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, वस्त्र, चमड़ा आदि जैसी गतिविधियों में शामिल कुटीर उद्योगों सहित नए सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है।

जारी/- 2

वर्तमान में, जमुई जिले में बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या केवल 1149 है। कर्मचारी राज्य बीमा मानदंडों के अनुसार, 02 चिकित्सकों वाले औषधालय की स्थापना के लिए न्यूनतम 3,000 बीमित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए न्यूनतम 20,000 बीमित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, बीमित व्यक्तियों की पर्याप्त आबादी नहीं होने के कारण किसी भी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के लिए कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

ईपीएफ निपटान की प्रक्रियाएं और पद्धतियां पूरे देश में एक समान हैं। ईपीएफओ ने हाल के दिनों में सेवा वितरण को सरल और तीव्र करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमे शामिल है:

i. ऑटो क्लेम सेटलमेंट सीमा को बढ़ाया गया है - बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 71% अग्रिम दावों का निपटान ऑटो मोड में किया गया और कुल दावों में से अब तक 47.3 प्रतिशत का निपटान ऑटो मोड में किया जा चुका है।

ii. यूएएन के साथ बैंक खाते के विवरण की सीडिंग के लिए नियोक्ता की मंजूरी को समाप्त कर दिया गया है। यह सदस्यों को अपने खातों को स्वयं सीड करने में सक्षम बनाता है जिससे प्रक्रिया सरल और तीव्र हो जाती है।

iii. दिनांक 15.01.2025 से अधिकतर मामलों में नियोक्ता की मंजूरी हटाकर रोजगार परिवर्तन पर पीएफ खातों के अंतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मई 2025 से, पीएफ खातों में अंतरित राशियों का बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के क्रेडिट ऑटोमेटेड हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण में तेज़ी आई है।

iv. दावा प्रोसेसिंग के लिए चेक-लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है जो प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण में तीव्रता आती है।

v. त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पीएफ निपटान राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

*

*****

अनुबंध-I

"जमुई जिले में श्रमिकों का कल्याण" के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को श्री अरुण भारती द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2392 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार, जमुई जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ ले रहे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा:-

क्र.सं.	योजनाएँ	कुल पंजीकरण
1	वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	5,18,869
2	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	4,68,217
3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	2,43,085
4	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	1,79,845
5	महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)	1,65,697
6	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	64,615
7	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	35,917
8	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	7,695
9	इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	1,786
10	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	1,099
11	प्रधानमंत्री आवास योजना - अर्बन (पीएमएवाई-यू)	614
12	इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस)	330
13	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	8

*****